"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2008— ज्येष्ठ 16, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्रमांक ई-1-5/2006/1 /2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2007 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये
1.	श्री बासावाराजू एस.	राजनांदगांव
2.	श्री हिमशिखर गुप्ता	कवर्धा
3.	श्री के. सी. देवासेनापति	बिलासपुर
4.	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक	कांकेर
5.	सुश्री शम्मी आबिदी	रायपुर
6.	श्री यशवंत कुमार	सरगुजा

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री अंबलगन पी., भा. प्र. से. (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से. (2004) अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं.

3. श्री मुकेश कुमार, भा. प्र. से. (2005) अनुविभागीय अधिकारी, पंडरिया, जिला कबीरधाम (कवर्धा) की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती हैं.

4. श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से. (2005) अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा पदस्थ किया जाता है.

5. श्रीमती संजीता गुप्ता, (भा. व. से.) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा जिनकी सेवायें पूर्व से ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रतिनियुक्ति हेतु सौंपी गई है, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मानिटरिंग एण्ड लर्निंग एक्सपर्ट, नवा अंजोर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2008

क्रमांक ई-7/59/2004/1/2.—श्री अमीर अली, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 14-05-2008 से 24-05-2008 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 25-05-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2008

क्रमांक बी-1-6/2007/एक/4.—श्री टामन सिंह सोनवानी (रा. प्र. से. आर. आर.-91, प्रवर श्रेणी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुये उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री विपिन मांझी (रा. प्र. से. आर. आर.-96, प्रवर श्रेणी) अपर कलेक्टर, जशपुर की सेवायें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर के पद पर पदस्थापना हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती है.

3. श्री एच. एल. नायक (रा. प्र. से. आर. आर.-94, प्रवर श्रेणी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुये उन्हे अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जशपुर पदस्थ किया जाता है.

4. उपरोक्त पदस्थापना/स्थानांतर के संबंध में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक बी-7/14/2007/1/2.—श्री रजत कुमार, भा. प्र. से., तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़, जिला रायगढ़ को दिनांक 08-02-2008 से 15-02-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16 एवं 17 फरवरी, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री रजत कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक ई-7/14/2007/1 /2.—श्री रजत कुमार, भा. प्र. से., तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़, जिला रायगढ़ को दिनांक 24-12-2007 से 03-01-2008 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री रजत कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक एफ 6-6/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया, कार्यकारी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 20-5-2008 से 4-6-2008 तक 16 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं अवकाश पूर्व दिनांक 17 से 19-5-2008 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई, 2008

विषय :- ऋण संबंधी प्रस्तावों के संबंध में.

क्रमांक/201/एल-4/1/08/ब-4/4.—वित्त विभाग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कुछ विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये बिना ही विभिन्न ऋणदाता संस्थाओं से प्रत्याभूति प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा लेटर ऑफ कम्फर्ट के आधार पर संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया जा रहा है. ऋण प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् वित्त विभाग को उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है. यह प्रक्रिया नियमानुसार नहीं है.

कार्य आवंटन नियमों के भाग-4 (वित्त विभाग) अ-4 के अनुसार राज्य के लोक ऋण, 11-संसाधन तथा 12- वित्तीय संसाधन बढ़ाने संबंधी सामान्य नीति वित्त विभाग को आवंटित विषय है. इसी प्रकार छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियमों के भाग-1 के नियम 11-1 के अनुसार कोई भी विभाग वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना ऐसे किन्हीं भी आदेशों को प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करता हो.

अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य की विकास योजनाओं के लिये राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना जिसमें ऋणों के माध्यम से राशि प्राप्त किया जाना सम्मिलित है, वित्त विभाग को आवंटित विषय है. किसी भी माध्यम से ऋण लिये जाने पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से राज्य पर इसके पुनर्भुगतान का भार आता है तथा इससे राज्य की राजकोषीय नीति व्यवस्था प्रभावित होती है.

अत: सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि ऋण दाता संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना न भेजा जावे. ऐसी संस्थाओं से किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन की प्रत्याभूति प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा लेटर ऑफ कम्फर्ट के माध्यम से ऋण प्राप्त न किया जावें. यह राज्य की वित्तीय व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है. अत: इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2008

क्रमांक/2051/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3926/कृषि/किसान आयोग/2008/14-2 दिनांक 29-09-2007 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् में एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष (अशासकीय) के मनोनयन का प्रावधान करती है. उपाध्यक्ष (अशासकीय) का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र. 68 सन् 1986) की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति महोदय के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र व्यास, को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के अध्यक्ष के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

न्यायमूर्ति श्री सुभाष चन्द्र व्यास, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा उनकी 67 वर्ष की आयु जो भी पूर्व में हो, रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

क्रमांक एफ 5-10/2001/खाद्य/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-5-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 16th May, 2008

No. F 5-10/2001/Food/29.— In exercise of the powers conferred by Clause (A) of sub- section (1) of section 16 of Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government in consultation with the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Bilaspur is pleased to appoint Shri Justice Subhash Chandra Vyas, Retired Judge of Madhya Pradesh High Court as president of Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur.

The term of the office of Shri Justice Subhash Chandra Vyas, as president shall be for period of 5 years or upto the age of Sixty-seven years, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK SHUKLA, Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक-943-ए/एफ 4-25/32/2006/पार्ट-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भर्ती की रीति तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश चतुर्थ श्रेणी सेवा तथा भर्ती नियम 2008 है.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना** - यह नियम अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों के लिए लागू होगा.

3. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** - सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती के तरीके, आयु सीमा तथा अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा.

4. **आरक्षण** - (i) सीधी भर्ती के पदों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति के आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र) नियम, 1997 के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण होगा.

(3) **महिलाओं के लिए आरक्षण** - महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (लोक सेवा तथा पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु उपबंधित आरक्षण तथा छूट को प्रभावित नहीं करेगी. भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक जो सेवावधि के दौरान मृत हुआ हो के परिवार के एक सदस्य की नियुक्ति, विकलांग व्यक्ति तथा अन्य श्रेणी से संबंधित अन्य व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियमित किए जायेंगे.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति** - इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

अनुसूची
सीधी भर्ती हेतु

अनु. क्र.	पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा अथवा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	अधिकतम/ न्यूनतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि यदि हो	पदोन्नति के मामले में विहित आयु सीमा तथा सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक अर्हता लागू होगी	सीधी भर्ती के मामले में पदोन्नति, स्थानांतरण के साथ पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा होगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिए चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	दफ्तरी	02	चतुर्थ श्रेणी	रु. 2610-3540	पदोन्नति द्वारा 100%	18 से 35 वर्ष	5 वीं पास	एक वर्ष	क्र.	5 वर्ष की निरंतर सेवा तथा बुक बाइंडिंग फेरो प्रिंटिंग कार्य की जानकारी.	1. अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अथवा उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त संचालक- अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	चैनमेन	11	चतुर्थ श्रेणी	रु. 2250-3200	सीधी भर्ती द्वारा 100%	18 से 35 वर्ष	5वीं पास	एक वर्ष	क्र.	-	2. संचालक/आयोग द्वारा नामांकित संयुक्त संचालक-सदस्य टीप: यदि कोई अधिकारी उपरोक्त समिति के लिये नियुक्त है ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में आगामी कनिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेगा.
3.	भृत्य	13	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	
4.	चालक (ड्रायवर)	03	चतुर्थ श्रेणी	जिलाधीश कार्यालय दर पर	सीधी भर्ती 100%	-तदैव-	8वीं पास तथा चार पहिया व्यवसायिक ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए	-	-		
5.	पार्ट टाईम स्वीपर	01	तदैव	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-	-	-	-	

टीप :- (1) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए चैनमेन/भृत्य को जोड़कर वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी तथा ऐसी वरिष्ठता सूची में कर्मचारियों के नाम, निम्न पदों पर उनके द्वारा स्थानापन्न रूप से की गई निरंतर सेवा के आधार पर रखा जाएगा.

(2) दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिए, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया जाएगा जिसे अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नामांकित किया जाएगा.

Raipur, the 9th May 2008

No. 943-A/F 4-25/32/2006/part-3.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in Chhattisgarh Town and Country Planing, namely :-

RULE

1. **Short Title** - (1) This rule may called Chhattisgarh Town and Country Planning Class-IV Service and Recruitment Rule, 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application** - This rule shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of pay etc.**- The classification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provisions contained in columns (3) to (12) of Schedule.

4. **Reservation -** (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation in promotion and zone of consideration) Rules, 1997.

(3) **Reservation for women-** Reservation for women candidate shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision of Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving-** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Sceduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be rugulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. S. DIXIT, Deputy Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit Minimum/ maximum	Prescribed Educational qualification	period of probations Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from with promotion transfer will be made	Selection committee for direct recruitment and promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					(a) Headquarter (Including Chhattisgarh Town and Country Planning Department/ Office)						
1.	Daftari	02	Class-IV	Rs. 2610-3540	100% by Promotion	18 to 35 years	5th Pass	One year	No.	5 years continuous service and knowledge of Books-binding filing and Ferro printing work	1. Additional Director, Town and Country Planning or in his absence joint Director or Chairman

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Chainman	11	Class-IV	Rs. 2550-3200	100% by direct recruitment	18 to 35 years	5th Pass	One year	No.		2. Joint Director, nominated by the Director/ Commission as Member.
3.	Peon	13	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-		
4.	Driver	03	Class IV	Collectorate Rate	100% direct recruitment	-do-	8th pass and should possess four wheel commercial driving license.	-	-		Note : if any officer is appointed for the above committee in the absence of such officer next Junior officer will take part in the meetings.
5.	Part Time Sweeper	01	-do-	-do-	-do-	-do-	-	-	-		

Note :- (1) To consider for promotion on the post of Daftari, combined seniority list of Chainman/Peon shall be made and the name of employees in such seniority list shall be placed on basis of officiating continuous service rendered by them on the lower posts.

(2) For promotion on the post of Daftari, nominated Departmental promotion committee shall be constituted which shall be nominated by Additional Director, Town and Country Planning.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक एफ 3-36/2008/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस नवीन थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :-

क्र.	नवीन चौकी/थाना का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धौड़ाई	थाना- छोटे डोंगर जिला-नारायणपुर	झारा	11
			कोगेरा	11
			महिमागनाड़ी	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धौड़ाई	थाना-छोटे डोंगर	कौशलनार	11
		जिला-नारायणपुर	धौड़ाई	12
			कनेरा	15
			तारगांव	13
			आतरगांव	13
			ताडोनार	वनक्षेत्र
			पल्ली	12
			दुड़मी	12
			बांसपाल	12
			तोयनार	वनक्षेत्र
			छोटे कुम्हारी	15
			बोया	12
			कोकघाड़	15
			तिरकानार	15
			सुलेंगा	15
			गड़ागड़ा	15
			कन्हारगांव	16
			टेमरूगांव	15
			यदनार	15
		20 किमी. दूरी पूर्व में	कोकड़ी	15
2.	फरसगांव	जिला-नारायणपुर	फरसगांव	9
			बेड़माकोट	10
			एड़गपाल	10
			माडोकी	9
			मुंडपाल	10
			छिनारी	11
			बागझर	11
			आदपाल	11
			दण्डवन	10
			कड़हागांव	10
			तुरठा	10
			मलेचूर	9
			तेरदूल	9
			कोडोली	9
			करमरीकला	9
			करमरी खुर्द	9
			ताडोनार	9
			परलभाट	9
			हिकोनार	9
			गोगला	9
			आमगांव	9
			कापसी	8
3.	धनोरा	जिला-नारायणपुर	धनोरा	14
			राजपुर	14
			हिक्मुल्ला	14
			हिरगई	14
			बेड़मा	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	जिला-नारायणपुर		झाराकला	14
			ईदनार	वनक्षेत्र
			मड़मनार	14
			टेकानार	14
			झोरीगांव	14
			मक्सोली	वनक्षेत्र
4.	मोदकपाल	थाना-बीजापुर तह.- भोपालपटनम् जिला-बीजापुर	मोदकपाल	16
			एकनापल्ली	16
		थाना-उसूर, तह.- भोपालपटनम् थाना व तह.- बीजापुर.	नुकनपाल	17
			रालापाल	03
			कोडेपाल	03
			पेंदकावाली	28
5.	तोयनार	थाना-फरसेगढ़ तह.- भैरमगढ़, जिला-बीजापुर	मुचलेर	01
		थाना व तह. जिला-बीजापुर	दोगोली	25 ब
			एरमनार	25 ब
			धनोरा	27
			बोरजे	27
			तोयनार	26
			पापनपाल	26
			आदेड़	26
			मिरते	26
		थाना-फरसेगढ़ तह. जिला बीजापुर.	मोरमेण्ड	26
			चिंतनपल्ली	26
			कचलारम	25
6.	पोलमपल्ली	थाना-दोरनापाल तह.-कोंटा, जिला दंतेवाड़ा	पोलमपल्ली	44
			कोर्रापाड़	43
			रंगईगुड़ा	43
			पालमड़गू	43
			अरलापल्ली	43
			इत्तागुड़ा	44
			बरदेल	43
			तोंगगुड़ा	
			गोंदपल्ली	44
			कांकेरलंका	43

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	पोलमपल्ली	थाना-दोरनापाल	तोंयापारा	44
		तह.-कोंटा, जिला दंतेवाड़ा	पुनपल्ली	44
			गोरगुड़ा	44
			निलावाया	34
		थाना- चिंतागुफा, तह.- कोंटा	गोडेलगुड़ा	42
		जिला-दंतेवाड़ा	उपमपल्ली	34
			चिकपल्ली	43
			पुसवाड़ा	42
			जागाराम	वनग्राम
7.	अरनपुर	थाना-किरंदुल, तह.- कुआंकोंडा	अरनपुर	37
		जिला-दंतेवाड़ा	अचेली	37
			पोण्डका	36
			तनेली	36
			माडेन्दा	35
			अरबो	41
			समेली	35
		थाना व तह.- कुआंकोंडा	नीलावाया	41
		जिला-दंतेवाड़ा	जबेली	41
			रेवाली	40
			ककाड़ी	38
			मेढ़पाल	35
			बरेम	41
			कोटाली	39
			नहाड़ी	38
			बुरगुम	40
			परिया	40
		थाना-जगरगुंडा, तह.- सुकमा	पुरंगेल	35
		थाना- गादीरास, तह.- सुकमा	मूलेर	29
			पुजारीपाल	30
			डोंगेरस	30
			चिरमूर	29
			पोरदेम	29
			गोंदपल्ली	30
			मारोकी	27
			मुरकी	27
8.	ताड़ोकी	थाना व तह.-अंतागढ़	ताड़ोकी	7
		जिला-कांकेर	सरण्डी	9
			आमागांव	9
			बोदानार	7
			हबेचुर	7
			घीटूलबेड़ा	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	ताड़ोकी	थाना व तह.- अंतागढ़	कलेपरस	7
		जिला-कांकेर	आमाकड़ा	6
			कचवर	6
			गुजनार	7
			कुरसेल	6
			चिंगनार	7
			चापोण्डी	9
			छोटेघोष	9
			बड़ेघोस	9
			मुरनार	9
			बरेबेला	3
			सिंरसागी	6
			एड़ानार	9
			पदबेड़ा	7
			मलमेटा	9
			माहुरपाट	9
			तुमापाल	9
			मशपुर	9
9.	बड़ांजी	थाना-लोहंडीगुड़ा	बंड़ाजी	20
		जिला-बस्तर	टाकरागुड़ा	20
			बेलर	20
			छापरभानपुरी	63
			सांकरगांव	63
			गुनियापाल	63
			बुरंजी	63
			सिरिसगुड़ा	63
			दाबपाल	18
		थाना-परपा	टाहकापाल	18
		जिला-बस्तर	बड़ेपरोदा	64
			टांटपाल	64
			गुचागुड़ा	64
			चुण्डीगुड़ा	63
			सिंगपुर	63
			पोटानार	64
		थाना-कोड़ेनार	बारूपाटा	65
		थाना-परपा	साल्हेपाल	64
			काकापाल	64
		थाना-लोहड़ीगुण्डा	कुम्हली	20
			छिंदपाल	20
			बड़ेचकवा	20
			पल्लीचकवा	20
			बोड़नपाल	20
			नदीसागर	20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		थाना-लोहड़ीगुण्डा	पराली	20
			झारातराई	20
10.	महिला- थाना अंबिकापुर	जिला- अंबिकापुर	-	सम्पूर्ण सरगुजा जिला जो महिला थाना के अंतर्गत आयेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2008

क्रमांक एफ 3-45/2008/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से भेद करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कालम नं. (3) में वर्णित पुलिस थानों के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं. 3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :-

क्र.	थाने का नाम	उस पुलिस थाने का नाम (तह. जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना-बरमकेला, तह-सारंगढ़ जिला-रायगढ़	थाना-सरिया, जिला-रायगढ़	गोबरसिंहा	37

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2008

क्रमांक-एफ-5-8/दो/आठ-परि./2008.— राज्य शासन एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3 के खण्ड (ग-क) के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर संभाग क्षेत्रान्तर्गत मंजिली गाड़ियों के संचालन हेतु निम्नानुसार सम्पूर्ण मार्ग या उसके भाग के लिए विनिश्चितकरण (Route Formulation) करती है :-

क्र.	मार्ग का नाम	व्हाया
(1)	(2)	(3)
1.	लवाकेरा से पत्थलगांव	एकिरा, कोलेनझारिया, फरसाटोली, लुडेग
2.	बगीचा से सबाग	सामरी, कुसमी, डीपाडीह, सुलेसा

(1)	(2)	(3)
3.	रामानुजगंज से जवाहरनगर	बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी
4.	चिरमिरी से उदयपुर	दुबछोला, बैकुंठपुर, श्रीनगर, पोड़ी, सुरता, खम्हरिया, खरौद
5.	कोरबा से बैकुण्ठपुर	कटघोरा, कोरबी, सिरमिना, पोड़ी, खरौद
6.	चिरमिरी से लखनपुर	दुबछोला, बैकुण्ठपुर, श्रीनगर, पोड़ी, खम्हरिया, सलका, उदयपुर
7.	चांपा से नरियरा	अफरोद, चोटिया, ठठारी, जैजैपुर, हसौद
8.	नरियरा से चांपा	हसौद, जैजैपुर, ठठारी, चोटिया, अफरोद
9.	कोरबा से डभरा	चांपा, बाराद्वार, जैजैपुर, हसौद, नरियरा
10.	डभरा से कोरबा	नरियरा, हसौद, जैजैपुर, बाराद्वार, चाम्पा, उरगा
11.	नरियारा से कोरबा	हसौद, जैजैपुर, बाराद्वार, सकरेली, तुर्री, बरपाली, तुमान, उरगा
12.	नरियरा से कोरबा	हसौद, जैजैपुर, बाराद्वार, सकरेली, तुर्री, जर्वे, सिवनी, चांपा, उरगा
13.	नरियरा से कोरबा	हसौद, जैजैपुर, बाराद्वार, सकरेली, तुर्री, उमरेली, सोहागपुर, उरगा
14.	चांपा से मालखरौदा	बाराद्वार, नंदेली, खम्हाडीह, दुबछोला, मिशनचौक
15.	बाराद्वार से चन्द्रपुर	डूमरपारा, लवसरा, मुलीडीह, मालखरौदा, छपोरा, डभरा
16.	बाराद्वार से चन्द्रपुर	जैजैपुर, हसौद, छपोरा, डभरा
17.	बाराद्वार से चन्द्रपुर	जैजैपुर, हसौद, नरियरा, डभरा
18.	बाराद्वार से सारंगढ़	जैजैपुर, हसौद, बरेकेल, सरसिंवा
19.	बाराद्वार से बिलासपुर	सरगांव, बम्हनीहडीह, बिर्रा, शिवरीनारायण, पामगढ़
20.	बाराद्वार से शिवरीनारायण	जैजैपुर, बिर्रा, शिवरीनारायण
21.	सक्ति से शिवरीनारायण	बाराद्वार, बम्हनीहडीह, बिर्रा
22.	सक्ति से शिवरीनारायण	बाराद्वार, जैजैपुर, बिर्रा
23.	हैडसपुर से उमरेली	पंतोरा, खिसोरा, बलौदा, पहरिया, जांजगीर, चांपा, सिवनी, उमरेली
24.	अमलडीहा से कोरबा	बरतोरी, बिटकुली, बिल्हा, बिलासपुर, रतनपुर, पाली, सुमर्रा, बाकीमोंगरा, कुसमुण्डा
25.	बैलादुला से सारंगढ़	गोपालपुर, छिंद
26.	बरदुला से रिसोड़ा	सारंगढ़, बरमकेला
27.	सारंगढ़ से टाटा	छिंद, भिलाईपाली
28.	टाडीपार से सारंगढ़	छिंद
29.	पंडरिया से बदना	कुकदुर, मुनमुना
30.	मरौल से सुपकालो	महादेवडांड, बासेन, बटईकेला, कांसाबेल, पत्थलगांव, कापू
31.	जैजैपुर से चन्द्रपुर	मालखरौदा, परसाभाटा, खरसिया, घुरकोट
32.	खरसिया से चन्द्रपुर	घुरकोट, बघैत, अमलडीह
33.	जैजैपुर से खरसिया	मालखरोद, परसाभाटा, फगुरम
34.	सक्ति से बिलासपुर	चाम्पा, जांजगीर, अकलतरा, मस्तूरी
35.	गिधौरी से बलौदा	शिवरीनारायण, भुईगांव, पामगढ़, अकलतरा
36.	डभरा से कोरबा	सिंघरा, सक्ति, तुमान
37.	शिवरीनारायण से सक्ति	केरा, बिर्रा, हसौद, छपोरा, मालखरौद
38.	जैजैपुर से चन्द्रपुर	मालखरौदा परसाभाठा, खरसिया, बघौत, अमलडीह

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2008

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा के लिए भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** :— इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, :—

(क) सेवा के संबंध में " नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची चार में यथाउल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी,

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार,

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ,

(ङ.) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक– एफ 8–5–पच्चीस–4–84, तारीख 26.12.1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,

(च) "पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, नियम 13 के उपनियम 1 के अनुसार गठित समिति,

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनूसूची,

(ज) "अनूसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा ,

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियम 6 के उपनियम 4 के अनुसार गठित समिति।

3. **विस्तार तथा लागू होना** :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों।

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हो ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** :– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा ।

परन्तु सरकार समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका** :–(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा /चयन कर सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) अनुसूची चार के कालम (2) तथा (3) में सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक हैसियत से धारण करते हो, उन व्यक्तियों की स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथाउल्लिखित कर्तव्य पदों की संख्या के,अनुसूची दो में दर्शाये गए प्रतिशत् से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति

प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उपनियम (1) के खण्ड (क) में सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी। चयन समिति में निम्नानुसार सदस्य होगें:-

1.	संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी	अध्यक्ष
2.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत संयुक्त संचालक (भौमिकी) / संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	सदस्य
3.	उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन)	सदस्य
4.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5.	अधीक्षक (संचालनालय)	सदस्य सचिव

चयन समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा, नही होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामांकित किया जाएगा।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किये जायेंगे, तथापि चयन समिति इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड, सरकार की सहमति से अपना सकेगी।

(5) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किया जाये।

(6) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** :- इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें** :– प्रतियोगी परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात् :–

(1)आयु–(क) परीक्षा/ चयन प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् आगामी पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के उतने वर्ष पूरे कर लिए हों जितने की अनुसूची तीन के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट है किन्तु उतने वर्ष पूरे न किए हो जितने की उक्त अनुसूची के कालम 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ें वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी, अर्थात्:–

(एक)ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो)ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यंक्ति, तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(तीन)जो अभ्यर्थी छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व मे की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु–सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने

अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण -- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से घोतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मांस की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(1)ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(2)ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें --

(क)अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख)भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो ।

(3)मद्रास सिविल इकाई (यूनिट)के भूतपूर्व सैनिक,

(4)संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।

(5)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये हो ।

(6)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नही बन सकेंगे।

(7)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

(घ)ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रुप से अलग किया गया हो ।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी । किन्तु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी–(1) उपर्युक्त खंड (ग) (एक) तथा (ग) (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतो के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया है, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तों वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी–(2)किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थी को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) शैक्षणिक अर्हताएँ :– अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शायी गयी, सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए, परंतु :–

(क) अपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार की अनुशंसा पर, किसी अभ्यर्थी की अर्हता अनुसार जो यद्यपि इस खंड में विहित किसी अर्हता को उत्तीर्ण नहीं है, अन्य संस्था द्वारा उस मानक से संचालित किये गये परीक्षा उत्तीर्ण हो चुका है जिसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा/चयन में उपस्थित होने हेतु विचार किया जा सकेगा।

(ख) अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह है किंतु विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री लिया है, जो सरकार द्वारा विशेष तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है, को भी नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विचार किया जा सकेगा।

(3) फीस :– अभ्यर्थी को सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. निरर्हता :– अभ्यर्थियों की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :– चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

11. (1)चयन/प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :–

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, सरकार द्वारा समय–समय पर, जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी ।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जायेंगे ।

(6) विकलांग अभ्यर्थियो के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा ।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम अधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

12. <u>चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची</u> :—(1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में एक सूची जो ऐरो स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये है, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में

नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) चयन सूची, चयन समिति द्वारा इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य होगा।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** :–(1) पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें इससें संलग्न अनुसूची चार के कालम 5 में उल्लिखित सदस्य होंगे : परंतु इस नियम के अनुसार समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम ,1994 (क 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपखण्ड के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगा।

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें**– (1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को इससे संलग्न अनुसूची चार के कॉलम 2 में उल्लिखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें सरकार ने उसके समतुल्य घोषित हैं (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से) उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों जो अनुसूची–चार के कॉलम 4 में अंकित है तथा विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति ,आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा, की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जाएगी,, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के पेतनमान मैं आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) सरकार द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(3) पदोन्नति के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना** :–(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हे समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे । सूची में उतने नाम सम्मिलित किये

जायेंगे, जितना सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण रिक्तियाँ संभावित हों। इसके अतिरिक्त उक्त कालावधि के दौरान होने वाले अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए सूची तैयार की जायेगी।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कालम 2 में विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखें जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नही किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नही होगा।

16. **चयन सूची** :–(1)नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रुप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कालम 2 दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार के कालम 3 में दर्शाये गये पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जायेगी, उसकी विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक मान्य होगी । परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि यह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :–(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्ति की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आई हो जिससे सरकार की राय में वह सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा** :— सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन** :— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण** :— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिस पर ये नियम लागू होते हो, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति** :— इन नियमों से की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति** :— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया ओदश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम 6 देखिए)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्ग	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधीक्षक (संचालनालय)	1	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	5500–175–9000
2.	शीघ्रलेखक श्रेणी –1	1	–;;–	5500–175–9000
3.	अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय)	3	–;;–	5000–150–8000
4.	अंकेक्षक	3	–;;–	5000–150–8000
5.	शीघ्रलेखक श्रेणी –2	2	–;;–	4500–125–7000
6.	सहायक ग्रेड–1	11	–;;–	4500–125–7000
7.	शीघ्रलेखक श्रेणी –3	3	–;;–	4000–100–6000
8.	सहायक ग्रेड–2	28	–;;–	4000–100–6000
9.	स्टेनोटाइपिस्ट	5	–;;–	3050–75–3950–80–4590
10.	सहायक ग्रेड–3	54	–;;–	3050–75–3950–80–4590
11.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	5500–175–9000
12.	वेधन यांत्रिकी	12	–;;–	5000–150–8000
13.	सहायक प्रोग्रामर	1	–;;–	5000–150–8000
14.	टोपो सर्वेयर	3	–;;–	5000–150–8000
15.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	–;;–	5000–150–8000
16.	चित्रकार	2	–;;–	5000–150–8000
17.	वरिष्ठ मानचित्रकार (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	1	–;;–	5000–150–8000
18.	वरिष्ठ मानचित्रकार (क्षेत्रीय कार्यालय)	3	–;;–	5000–150–8000
19.	मानचित्रकार (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	6	–;;–	5000–150–8000
20	स्टोर कीपर	4	–;;–	4500–125–7000
21	खनि सर्वेक्षक	6	–;;–	4500–125–7000
22	सहायक रसायनज्ञ	12	–;;–	4500–125–7000

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्ग	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	ग्रंथपाल	1	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	4500–125–7000.
24.	मानचित्रकार (जिला कार्यालय)	8	–;;–	4000–100–6000
25.	सहायक वेधक	29	–;;–	3500–80–4700–100–5200
26.	मेकेनिक	5	–;;–	3500–80–4700–100–5200
27.	ट्रेक्टर/ट्रक चालक	1	–;;–	3500–80–4700–100–5200
28.	साख्यिकी लिपिक	1	–;;–	3500–80–4700–100–5200
29.	सर्वेयर (जिला कार्यालय)	8	–;;–	3050–75–3950–80–4590
30.	अनुरेखक	4	–;;–	3050–75–3950–80–4590
31.	वाहन चालक	9	–;;–	3050–75–3950–80–4590
32.	मद्दगार	19	–;;–	3050–75–3950–80–4590
33	इलेट्रिशियन	5	–;;–	3050–75–3950–80–4590
34.	प्रयोगशाला सहायक	1	–;;–	3050–75–3950–80–4590
35.	सुपरवाइजर/ हवलदार	90	–;;–	3050–75–3950–80–4590

टीप:–

(1) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 11 के कालम 3 में दों सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(2) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 16 के कालम 3 में दों सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(3) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 17 के कालम 3 में एक सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(4) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 25 के कालम 3 में नौं सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(5) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 26 के कालम 3 में पांच सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(6) तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय के क्रमांक 28 के कालम 3 में एक सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।

अनुसूची – दो

(नियम 7 देखिए)

क.	विभागका नाम/पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	खनिज साधन विभाग					
1.	अधीक्षक (संचालनालय)	1	–	100	–	
2.	शीघ्रलेखक श्रेणी –1	1	–	100	–	
3.	अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय)	3	–	100	–	
4.	अंकेक्षक	3	–	–	100	संचानालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा प्रतिनियूक्ति में प्राप्त न होने पर विभागीय पदोन्नति से भरा जायेगा
5.	शीघ्रलेखक श्रेणी –2	2	–	100	–	पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में सा. प्रा. वि. की पूर्व अनुमति से सीधी भर्ती से भरा जायेगा।
6.	सहायक ग्रेड–1	11	–	100	–	पूर्व पदनाम लेखापाल/ लेखा परीक्षक/ सहायक अधीक्षक/ मुख्य लिपिक/ सहायक ग्रेड–1
7.	शीघ्रलेखक श्रेणी –3	3	50	50	–	
8.	सहायक ग्रेड–2	28	–	100	–	
9.	स्टेनोटाइपिस्ट	5	100	–	–	
10.	सहायक ग्रेड–3	54	75	25	–	25 प्रतिशत रिक्तियॉ चतुर्थ श्रेणी से नियुक्ति हेतु, आरक्षित विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जो कम से कम हायर सेकण्डरी स्कूल (10+2) परीक्षा उतीर्ण हों एवं चतुर्थ श्रेणी पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों। आयु सीमा एवं मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण किये बिना पूर्ति किये जायेगें
11.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	4	50	50	–	
12.	वेधन यांत्रिकी	12	–	100	–	
13.	सहायक प्रोग्रामर	1	100	–	–	
14.	टोपो सर्वेयर	3	–	100	–	
15.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	2	100	–	–	दो पद सांख्येत्तर
16.	चित्रकार	2	100	–	–	दो पद सांख्येत्तर

क्र.	विभागका नाम/पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	वरिष्ठ मानचित्रकार (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	1	—	100	—	एक पद सांख्येत्तर
18.	वरिष्ठ मानचित्रकार (क्षेत्रीय कार्यालय)	3	—	100	—	
19.	मानचित्रकार (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	6	—	100	—	
20	स्टोर कीपर	4	100	—	—	
21	खनि सर्वेक्षक	6	50	50	—	
22	सहायक रसायनज्ञ	12	100	—	—	
23	ग्रंथपाल	1	100	—	—	
24	मानचित्रकार (जिला कार्यालय)	8	100	—	—	
25	सहायक वेधक	29	—	100	—	नौं पद सांख्येत्तर
26	मेकेनिक	5	100	—	—	पांच पद सांख्येत्तर। पूर्व पदनाम मेकेनिक, ड्रीलमेन, टर्नर तथा वेल्डर
27	ट्रेक्टर/ट्रक चालक	1	100	—	—	पूर्व पदनाम ट्रेक्टर चालक
28	सांख्यिकीय लिपिक	1	100	—	—	एक पद सांख्येत्तर
29	सर्वेक्षक(जिला कार्यालय)	8	100	—	—	
30	अनुरेखक	4	100	—	—	
31	वाहन चालक	9	100	—	—	
32	मद्दगार	19	75	25	—	
33	इलेक्ट्रीशियन	5	100	—	—	
34	प्रयोगशाला सहायक	1	100	—	—	
35	सुपरवाइजर/ हवलदार	90	—	—	100	प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा

अनुसूची तीन
(नियम 9 देखिए)
सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु एवं अर्हताएं

विभाग का नाम	स0 क0	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
खनिज साधन विभाग	1.	शीघ्रलेखक द्वितीय श्रेणी	18	35	(1)पूर्व हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण अथवा 10+2 से परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा, मंडल अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिन्दी / अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए (3)दो वर्ष का शीघ्रलेखन का अनुभव (4)हिन्दी के साथ अंग्रेजी मुदलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
	2	शीघ्रलेखक तृतीय श्रेणी	18	35	(1)पूर्व हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण अथवा 10+2 से परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा, मंडल अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रतिमिनट हिंन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिन्दी / अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए (3)हिन्दी के साथ अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
	3	स्टेनोटाइपिस्ट	18	35	(1)पूर्व हायर सेकण्डरी उतीर्ण अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा, मंडल अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट तथा 25 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा केन्द्र शासन के व्यावसायिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्टेनोटाइपिस्ट परीक्षा उतीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिन्दी / अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए (3)हिन्दी के साथ अंग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	4	सहायक ग्रेड तीन	18	35	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकण्डरी परीक्षा अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ संस्था से 25 शब्द प्रतिमिनट हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण । (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा हिन्दी / अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री का 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए
	5	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	21	35	सांख्यिकीय/गणित विषय लेकर स्नातकोत्तर उपाधि (एम. एस. आफिस कम्प्यूटर का मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणपत्र को प्राथमिकता)
	6	सहायक प्रोग्रामर	18	35	मान्यता पांप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक
	7	स्टोर कीपर	18	35	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल/आटोमोबाइल में 3 वर्ष का डिप्लोमा
	8	खनि सर्वेक्षक	18	35	खनिकर्म/सिविल इंजिनियरिंग में पत्रोपाधि के साथ दो वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव
	9	सहायक रसायनज्ञ	18	35	अकार्बनिक अथवा एनालिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि । स्नातक उपाधि में भू–विज्ञान विषय को प्राथमिकता ।
	10	ग्रंथपाल	18	35	लायब्रेरी साइंस में स्नातक उपाधि
	11	ट्रेक्टर/ट्रक चालक	18	35	आठवीं कक्षा उतीर्ण (ट्रेक्टर का लायसेंस के साथ दो वर्ष का अनुभव)
	12	मानचित्रकार (जिला कार्यालय)	18	35	(1) वस्तुकला में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या (2)आई. टी. आई. से ड्राफ्टमेन उतीर्ण होने का प्रमाणपत्र
	13	सर्वेक्षक (जिला कार्यालय)	18	35	खनिकर्म/सिविल इंजिनियरिंग में पत्रोपाधि अथवा आई. टी. आई. से सर्वेयर ट्रेड उतीर्ण होने का प्रमाणपत्र के साथ दो वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव
	14	अनुरेखक	18	35	ड्राइंग विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण या आई. टी. आई. से ड्राफ्टमेन ट्रेड का प्रमाणपत्र प्राप्त
	15	वाहन चालक	18	35	आठवी उतीर्ण (हल्के वाहन चलाने के लिए लायसेंस तथा 2 वर्ष का अनुभव)
	16	मद्दगार	18	35	आई. टी. आई. से डीजल मेकेनिक या मशिनिस्ट या आटोमोबाइल ट्रेड परीक्षा उतीर्ण
	17	इलेक्ट्रीशियन	18	35	आई. टी. आई. से इलेक्ट्रीकल / वायरमेन ट्रेड में उतीर्ण का प्रमाणपत्र(छ.ग. अनुज्ञापन मंडल (विद्युत)का प्रमाण पत्र)
	18	प्रयोगशाला सहायक	18	35	रसायन शास्त्र विषय के साथ हायर सेकेंड्री परीक्षा उतीर्ण

अनुसूची–चार
(नियम 13,14 एवं 15 देखिये)

विभाग का नाम	पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद या सेवा का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पात्रता की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
1	2	3	4	5
खनिज साधन विभाग	1.अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय)	अधीक्षक (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष– संचालक अथवा संचालक द्वारा मनोनीत अपर संचालक / संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी 2. सदस्य– संचालक द्वारा मनोनीत संयुक्त संचालक (भौमिकी) / खनिज प्रशासन 3. सदस्य– उपसंचालक (वित्त एवं प्रशासन) 4. सदस्य सचिव– अधीक्षक (संचालनालय)
	2.शीघ्रलेखक श्रेणी –2	शीघ्रलेखक श्रेणी –1	5 वर्ष	
	3.शीघ्रलेखक श्रेणी –3	शीघ्रलेखक श्रेणी –2	5 वर्ष	
	4.स्टेनोटाइपिस्ट	शीघ्रलेखक श्रेणी –3	5 वर्ष	
	5.सहायक ग्रेड–1	अधीक्षक (क्षेत्रीय कार्यालय)	5 वर्ष	
	6.सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	5 वर्ष	
	7.सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	5 वर्ष	
	8.भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	
	9. सांख्यिकीय लिपिक	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	5 वर्ष	
	10.सहायक वेधक	वेधन यांत्रिकी	5 वर्ष	
	11.खनि सर्वेक्षक	टोपो सर्वेयर	5 वर्ष	
	12. मानचित्रकार (जिला कार्यालय)	वरिष्ठ मानचित्रकार (क्षेत्रीय कार्यालय) / मानचित्रकार (विभागाध्यक्ष कार्यालय)	5 वर्ष	
	13. सर्वेक्षक (जिला कार्यालय) (क्रमोन्नत वेतनमान रु. 3500–5200 /)	खनि सर्वेक्षक	5 वर्ष	
	14.अनुरेखक	मानचित्रकार	5 वर्ष	
	15.मददगार	सहायक वेधक	5 वर्ष	

रायपुर, दिनांक 13 मई 2008

क्रमांक एफ 1-37/2007/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-37/2007/12 दिनांक 13 मई, 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th May 2008

No. F 1-37/2007/12.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment for Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service, namely :-

Rules

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise, requires:-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the appointing authority as mentioned in schedule - IV,

   (b) "Examination" means a competitive Examination conducted,

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh,

   (d) "Governor" means Governor of Chhattisgarh,

   (e) "Other Backward Class" means other backward classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26.12.84 as amended from time to time,

   (f) "Promotion committee" means the committee constituted is respect of sub-rule 1 of rule 13,

   (g) "Schedule" means the schedule appended to these Rules,

   (h) "Scheduled Caste" means the Schedule Castes as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India,

   (i) "Scheduled Tribe" means the Schedule Tribes as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India,

   (j) "Services" means the Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service,

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh,

   (l) "Selection committee" means the committee constituted in respect of sub-rule 4 of rule 6.

3. **Scope and application** - without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961. these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service** - The service shall consist of the following persons, namely:-

   (a) Persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule- I;

   (b) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules;

   (c) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.** - The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I .

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or a temporary basis.

6. **Method of recruitment** - (1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment, by Competitive Examination / Selection

(b) By promotion of members of the service in column (2) and (3) of Schedule IV ;

(c) By transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) In accordance with clause (a) of sub-rule (1) a selection committee shall be constituted for the direct recruitment. Selection committee shall consist of the fallowing members: -

1	Director Geology and Mining or officer nominated by him.	Chairmen
2	Joint Director (Geology)/Joint Director (Mineral administration) nominated by Appointing Authority.	Member
3	Deputy Director (Finance and Administration)	Member
4	Subject expert nominated by Appointing Authority	Member
5	Superintendent (Directorate)	Member Secretary

There will be minimum one member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe in the recruitment committee, if not one member of scheduled caste or scheduled tribe will be nominated by the Appointing Authority.

Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by direct recruitment shall be fixed by the Government. However Selection Committee can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of Government.

(5) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the Service so require, the Government may prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes Reservation) Act 1994, and the

directions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service -** All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment -** In order to be eligible for Competitive Examination / selection, candidate must satisfy the following conditions, namely.-

(1) Age -

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III, but not attained the age as specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 (Five) years, if a candidate belonging to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (Ten) years to a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (special provisions for appointment of women) Rule 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent or temporary /Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age

(ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation committee, applies for any other post should not be more than 38 years in age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman (Military) shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "Ex-serviceman" (Military) denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-servicemen (M[illegible]) r[illegible]eased under mustering out concessions,

(2) Ex-servicemen (Military) enrolled for the second time and discharged on (a) Completion of short term engagement (b) Full filling the condition of enrolment;

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Office),

(5) Offices discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(7) Ex-servicemen who are medically discharged account of gun-shot, wounds, etc.

(8) Ex-servicemen in - validated out of service .

(e) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum two years for those candidates who are holding green card under the Family Welfare Programme.

(f) The General age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow, destitute and divorced women candidates.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior cast partner couple under the Inter Caste Marriage Incentive programme of the Trible, Scheduled caste and Backward class welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande, prize, Gundadhur and Maha Raja Praveen Chand Bhanjdeo awards holder candidates

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporations/Boards.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administrative Department regarding age limit will be applicable.

Note (1) - Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in clause (c) (i) and (c) (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before of after examination/selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service of post after submitting the application.

Note (2) - In no other case will these age limit be relaxed, Department candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) Educational qualifications: - The candidate in any case must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III. Provided that -

(a) In exceptional cases the Appointing Authority may treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualification prescribed in this clause, has passed examination conducted by other Institutions by such a standard for which the Appointing Authority considers the candidate, eligible to appear in the examination/selection; and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing in the examination at the discretion of the Appointing Authority.

(3) Fee: - The Candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. Disqualification - Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final - The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. (1) Direct Recruitment by Competitive Examination Selections -

(i) The Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority may, from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) There shall be reserved post for the candidates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon ,Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No,21 of 1994). and order issued by the State Government from time to time.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-13 irrespective or their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be.

(5) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services, (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(6) There shall be reserved post for handicapped candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.

(7) In such cases ,where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility, that the candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

12. List of candidates recommended by the Committee - (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the selection

committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, but declared by the Selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that, the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue by Selection Committee.

13. **Appointment by promotion -** (1) For Preliminary selection of eligible candidate a committee consisting the members as mentioned in column 5 of attached Schedule - IV shall be constituted provided, for constitution of committee, for the purpose in accordance with this rule, provisions of sub clause of section 8 of Chhattisgrh Lok sewa (Anusuchit Jatiyon ,Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam,1994 (No,21 of 1994) shall also be fallows.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be as per the Chhattisgarh, Lok Sewa (Padonnatti) Niyam, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions promotion issued by Government/General Administration Department, from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion - (1)** The committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, have completed the period of service shown in column 2 of schedule four (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in column 4 of Schedule-IV or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government.

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion - period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) Promotion shall be done according to Reservation Roster prescribed for Promotion by Government.

(3) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh, Lok Sewa (Padonnatti) Niyam, 2003 shall be applicable.

15. **Preparation of list of suitable Candidate -** (1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in, rule 14 above and as held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall include as many numbers as are expected to be vacant due to retirement or promotion within one year of the date of preparing the list. Apart from this a list shall also be prepared to fulfill the post unexpectedly vacant during the period.

(2) The list suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh, Lok Sewa (Padonnatti) Niyam, 2003.

(3) As per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General condition of services) Rule 1961 the name of person included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts specified in column 2 of Schedule-4 at the time of preparation of each select list.

Explanation- The person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List - (1) The list as finally approved by the Appointing authority shall form the Select List for promotion of the members of service to the posts mentioned in column 2 of schedule 4 from the posts as mentioned in column 3 of schedule 4.

(2) The select list shall ordinarily be in force for 31st December for that calendar Year. Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

17. Appointment to the Service from the Select List - (1) Appointments of the employees included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the provision specified in The Chhattisgarh, Lok Sewa (Padonnatti) Niyam, 2003

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Appointing Authority before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposal appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to service.

18. Probation: - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation - If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

20. Relaxation - Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. Saving - Nothing in these rules affect reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Caste/Schedule Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by State Government from time to time in the regards.

22. Repeal and saving - All rules corresponding to these rules other rules and enforce immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

SCHEDULE I
(See Rule 6)
Classification of service, Pay scale and Number of Post included in the Service

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Class	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Superintendent (Directorate)	1	Class III Ministerial	5500-175-9000
2	Stenographer - 1	1	- „ -	5500-175-9000
3	Superintendent (Regional Office)	3	- „ -	5000-150-8000
4	Auditor	3	- „ -	5000-150-8000
5	Stenographer Grade-2	2	- „ -	4500-125-7000
6	Assistant Grade - 1	11	- „ -	4500-125-7000
7	Stenographer Grade - 3	3	- „ -	4000-100-6000
8	Assistant Grade - 2	28	- „ -	4000-100-6000
9.	Steno typist	5	- „ -	3050-75-3950-80-4590
10	Assistant Grade - 3	54	- „ -	3050-75-3950-80-4590
11	Assistant Statistical officer	4	Class III (Non Ministerial)	5500-175-9000
12	Driller Mechanic	12	- „ -	5000-150-8000
13	Assistant Programmer	1	- „-	5000-150-8000
14	Topo Surveyor	3	-„-	5000-150-8000
15	Senior Technical Assistant	2	-„-	5000-150-8000
16	Artist	2	-„-	5000-150-8000
17	Senior Draftsman (Head office)	1	-„-	5000-150-8000
18	Senior Draftsman (Regional office)	3	-„-	5000-150-8000
19	Draftsman(Head office)	6	-„-	5000-150-8000
20	Store Keeper	4		4500-125-7000

S. No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Class	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Mining Surveyor	6	-,,-	4500-125-7000
22	Assistant Chemist	12	-,,-	4500-125-7000
23	Librarian	1	-,,-	4500-125-7000
24	Draftsman(District office)	8	-,,-	4000-100-6000
25	Assistant Driller	29	-,,-	3500-80-4700-100-5200
26	Mechanic	5	-,,-	3500-80-4700-100-5200
27	Tractor /Truck Driver	1	-,,-	3500-80-4700-100-5200
28	Stastical Clerk	1	-,,-	3500-80-4700-100-5200
29	surveyor (District office)	8	-,,-	3050-75-3950-80-4590
30	Tracer	4	-,,-	3050-75-3950-80-4590
31	Driver	9	-,,-	3050-75-3950-80-4590
32	Helper	19	-,,-	3050-75-3950-80-4590
33	Electrician	5	-,,-	3050-75-3950-80-4590
34	Lab. Assistant	1	-,,-	3050-75-3950-80-4590
35	Supervisor/Hawaldar	90	-,,-	3050-75-3950-80-4590

Note:-

(1) Two supernumerary post is included in column3of S.NO.11of Class III Non ministerial.

(2) Two supernumerary post is included in column3of S.NO.16of Class III Non ministerial.

(3) One supernumerary Post is included in column3of S.NO.17of Class III Non ministerial.

(4) Nine supernumerary Post is included in column3of S.NO.25of Class III Non ministerial.

(5) Five supernumerary Post is included in column3of S.NO.26of Class III Non ministerial.

(6) One supernumerary Post is included in column3of S.NO.28of Class III Non ministerial.

SCHEDULE II
(See Rule 7)

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Number of Post	Total posts to be filled			Remark
			By direct recruit-ment	By pro-motion100	By tran-sfer from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mineral Resources Department						
1	Superintendent (Directorate)	1	-	100	-	
2	Stenographer - 1	1	-	100	-	
3	Superintendent (Regional Office)	3	-	100	-	
4	Auditor	3	-		100	By deputation from Directorate Treasury and Account. In case of non availability from deputation, shall be filled by Departmental promotion.
5	Stenographer Grade-2	2	-	100	-	In case of non availability of candidate for promotion, post shall be filled by direct recruitment on prior permission of General Administration Department
6	Assistant Grade - 1	11	-	100	-	Previous designation Accountant/Account examiner/Assistant super indent/Head clerk/Assistant grade -1
7	Stenographer Grade - 3	3	50	50	-	
8	Assistant Grade - 2	28	_	100	-	
9	Steno typist	5	100	_	-	
10	Assistant Grade - 3	54	75	25	-	25% post will be filled by Class IV employees of reserve category who should have minimum qualification of Higher secondary (10+2) and have a service period of 5 years in Class IV, without age bar and passing typing examination.
11	Assistant Statistical officer	4	50	50	-	

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Number of Post	Total posts to be filled			Remark
			By direct recruit-ment	By pro-motion100	By tran-sfer from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Driller Mechanic	12	-	100	-	
13	Assistant Programmer	1	100	-	-	
14	Topo Surveyor	3	-	100	-	
15	Senior Technical Assistant	2	100	-	-	2 Supernumerary post
16	Artist	2	100	-	-	2 Supernumerary post
17	Senior Draftsman (Head office)	1	-	100	-	1 Supernumerary post
18	Senior Draftsman (Regional office)	3	-	100	-	
19	Draftsman(Head office)	6	-	100	-	
20	Store Keeper	4	100	-	-	
21	Mining Surveyor	6	50	50	-	
22	Assistant Chemist	12	100	-	-	
23	Librarian	1	100	-	-	
24	Draftsman(District office)	8	100	-	-	
25	Assistant Driller	29	-	100	-	9 Supernumerary post
26	Mechanic	5	100	-	-	5 Supernumerary post. Previous designation Mechanic, Drillman, Turner and welder.
27	Tractor /Truck Driver	1	100	-	-	Previous designation Tractor driver
28	Stastical Cleark	1	100	-	-	1 Supernumerary post
29	surveyor (District office)	8	100	-	-	
30	Tracer	4	100	-	-	
31	Driver	9	100	-	-	
32	Helper	19	75	25	-	
33	Electrician	5	100	-	-	
34	Lab. Assistant	1	100	-	-	
35	Supervisor/Hawaldar	90	-	-	100	Filled by deputation

SCHEDULE III
(See Rule 9)
Age and qualification of the persons of direct recruitment

Name of Department	S.NO	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualifications prescribed
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Mineral Resources Department	1	Stenographer Grade II	18	35	(1). Must have passed Old High secondary Exam or (10+2) examination and Passed Hindi Shorthand and Typing Examination, with 100 words and 25 words per minutes respectively, from any recognized Board/Institute or Counsel of Shorthand and Typing. (2) Must have one year diploma certificate in data operator/ programming from recognized Institute and have Hindi/English data speed of 10,000 depression per hour (3) Two years experience of Stenography. (4) Priority shall be given to candidate who passed Hindi Typing examination as well as English typing examination.
	2.	Stenographer Grade III	18	35	(1). Must have passed Old High secondary Exam or (10+2) examination and Passed Hindi Shorthand and Typing Examination, with 100 words and 25 words per minutes respectively, from any recognized Board/Institute or Counsel of Shorthand and Typing. (2) Must have one year diploma certificate in data operator/ programming from recognized Institute and have Hindi/English data speed of 10,000 depression per hour . (3) Priority shall be given to candidate who passed Hindi Typing examination as well as English typing examination.
	3	Steno Typist	18	35	(1). Must have passed Old High secondary Exam or (10+2) examination and Passed Hindi Shorthand and Typing Examination, with 60 words and 25 words per minutes respectively, from any recognized Board/Institute or Counsel of Shorthand and Typing. or Steno typist examination passed under the course of professional education scheme of Central Government. (2) Must have one year diploma certificate in data operator/ programming from recognized Institute and have Hindi/English data speed of 10,000 depression per hour

Name of Department	S.NO	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualifications prescribed
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
					(3) Priority shall be given to candidate who passed Hindi Typing examination as well as English typing examination.
	4	Asstt. Grade III	18	35	(1) Must have passed Higher secondary examination or (10+2) from and recognized Board / University. (2) Passed Hindi Typing have speed 25 words per minute from recognized Board/Institute. (3) Must have one year diploma certificate in data operator / programming from recognized Institute and have Hindi/English data speed of 10,000 depression per hour
	5	Assistant Statistical Officer	21	35	Master Degree in Statistics/Mathematics (Priority to the MS Office computer certificate from recognized Institute).
	6	Assistant Programer	18	35	Bachelor Degree in Computer Application from recognized Institute.
	7	Store Keeper	18	35	Three Year diploma in Mechanical/ Automobile from Government recognized Institute.
	8	Mining Surveyor	18	35	Diploma in Mining /Civil Engineering with two year experience.
	9	Assistant Chemist	18	35	Post Graduate Degree in Organic chemistry or, Analytical chemistry. Preference for Graduate with Geology subject.
	10	Librarian	18	35	Graduate in Library Science.
	11	Tractor /Truck Driver	18	35	Eighth Class Passed. (Driving License for Tractor with two year experience).
	12	Draftsman (District office)	18	35	(1) Diploma in architecture.(2) Certificate of draftsman from I.T.I.
	13	Surveyor (District office)	18	35	Diploma in Mining /Civil Engineering or I.T.I in survey Trade with two year experience in survey work.
	14	Tracer	18	35	Must have passed Higher Secondary Examination with Drawing subject or Draftsman Trade I.T.I.
	15	Driver	18	35	Eighth Class Passed. (Driving License for Light Motor Vehicle with two year experience).

Name of Department	S.NO	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualifications prescribed
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	16	Helper	18	35	Must have passed Diesel Mechanic or Mechanist or Automobile Trade Examination from I.T.I.
	17	Electrician	18	35	Must have passed Electrical/ Wireman Examination Certificate from I.T:I. (Chhattisgarh Licensing Board (Electrical)).
	18	Laboratory assistant.	18	35	Must have passed Higher Secondary examination with Chemistry subject.

SCHEDULE IV
(See Rule 13, 14 and 15)

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Eligibility Period	Name of member of the Departmental/ Appointment Promotion Committee (Vide Rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mineral Resources Department	1. Superintendent (Regional Office)	Superintendent (Head Office)	5 years	1. **Chairmen-** Director or officers of Additional Director/ Joint Director nominated by Dirctor 2. **Member** -Joint Director (Geology/ Mineral Adm.) Nominated by Director. 3. **Member**- Dy. Director (Fin. & Adm.) 4. **Member Secretary-** Superintendent (Directorate)
	2. Stenographer - 2	Stenographer - 1	5 years	
	3. Stenographer - 3	Stenographer - 2	5 years	
	4. Steno typist	Stenographer - 3	5 years	
	5. Assistant Grade - 1	Superintendent (Regional Office)	5 years	
	6. Assistant Grade - 2	Assistant Grade - 1	5 years	
	7. Assistant Grade - 3	Assistant Grade - 2	5 years	
	8. Peon	Assistant Grade - 3	5 years	
	9.Statistical Clerk	Assistant Statistical Officer	5 years	
	10. Assistant Driller.	Driller Mechanic	5 years	
	11.Mining Surveyor	Topo Surveyor	5 years	
	12.Draftsman (district office)	Senior Draftsman(Regional Office)/Draftsman(Head Office)	5 years	
	13.Surveyor (District Office) pay scale Rs.3500-5200	Mining Surveyor	5 years	
	14.Tracer	Draftsman	5 years	
	15.Helper	Assistant Driller	5 years	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ी उपरोडा	डगनिया	134.001	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कोरबा (छ. ग.).	रामपुर जलाशय योजना में डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 16 मई 2008

रा. प्र. क्र. 26/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	11.983	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स. लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	कर्रानालाबैराज परियो. अन्तर्गत निर्माण में अतिरिक्त डूबान क्षेत्र में पूर्ण अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर (कांकेर), छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 मई 2008

क्रमांक /59/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कोदागांव	8.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कांकेर.	कोदागांव तालाब योजना के डुब क्षेत्र, वेस्टवीयर एवं बण्ड के अंतर्गत अर्जित की जानी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा	बलौदा	जर्वे प. ह. नं. 38	47.750	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) भू-अर्जन छ. ग. रा. विद्युत मंडल कोरबा (पूर्व).	2 x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण के अंतर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 22 मई 2008

क्रमांक-क्/भू-अर्जन/12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जाजंगीर-चाम्पा	जांजगीर	पाली प. ह. नं. 50	17.101	कार्यपालन अभियंता, (सिविल) भू-अर्जन छ. ग. रा. विद्युत मंडल कोरबा (पूर्व).	2 x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत गृह निर्माण के अंतर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	विध्यासर	6.780	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/10/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बिनौरी	0.069	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/648/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	करमू प. ह. नं. 7	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	साजा-खम्हरिया मार्ग के कि. मी. 15/4 पर डोटू नदी के पहुंच मार्ग में आ रही निजी भूमि का अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/650/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	मही दही प. ह. नं. 12	0.09	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	करमू - बीजा मार्ग पर डोटू नदी सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही भूमि का अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/651/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	सोनपांडर प. ह. नं. 31	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	साजा-परपोडी मार्ग के कि. मी. 11/2 पर सुरही नदी के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक/652/ले. पा./भू-अर्जन/08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भाठासोरही प. ह. नं. 7	1.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	डंगनिया भरचट्टी एनीकटकम काजवे के अंतर्गत एप्रोच रोड में प्रभावित भूमि का अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक/39/भू-अर्जन लि./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	छीतापार	2.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	छीतापार जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक/40/भू-अर्जन लि./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गाड़ामोर	2.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 9 मई 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./15/अ-82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	रायपुर	भटगांव प. ह. नं. 116	237/7 237/10	0.150	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर.	रॉ-वाटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
			239/1 239/2 239/3	0.210		
		योग	02	0.360		

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण 04 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	कोसमबुड़ा प. ह. नं. 43/27	खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			57	0.09		
			65	0.05		
			450	0.19		
			451	0.14		
			452	0.11		
			639/1	0.01		
			641/2	0.14		
			641/3	0.05		
			639/2	0.02		
			642/4	0.01		
			640	0.28		
			641/1	0.09		
			642/2	0.01		
		योग	13	1.19		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रक़बा (हे. में) (2)		
रायपुर	गरियाबंद	झिथरीडुमर प. ह. नं. 26			कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			54	0.01		
			56	0.03		
			68	0.15		
			55	0.02		
			74/633/3	0.21		
			422/6	0.01		
			57	0.03		
			64	0.01		
			79	0.04		
			81	0.03		
			65/1	0.04		
			65/2	0.07		
			65/3	0.09		
			69/7	0.01		
			93	0.02		
			67	0.09		
			74/633/5	0.05		
			422/9	0.02		
			75	0.10		
			422/8	0.06		
			78	0.02		
			83/1	0.07		
			419/2	0.12		
			80	0.07		
			97	0.06		
			120	0.06		
			418	0.12		
			74/633/6	0.01		
			82	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)		
			121	0.17		
			417	0.01		
			98/2	0.21		
			419/1	0.04		
			420	0.09		
			421	0.01		
			422/5	0.02		
			588/2	0.08		
			589	0.48		
			593	0.02		
			99	0.12		
			96/1	0.01		
			96/2	0.09		
			96/3	0.02		
			94	0.12		
			95	0.24		
		योग	45	3.46		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/05 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	नागाबुड़ा प. ह. नं. 26	खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			1070	0.10		
			1071	0.24		
			1073/1933	0.05		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)		
			1099	0.04		
			1880	0.04		
			1882	0.03		
			1881	0.13		
			1885	0.34		
			1887	0.02		
			1893	0.01		
			1922	0.03		
			1925	0.01		
			1926	0.22		
			1928	0.08		
			1927	0.06		
		योग	15	1.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

प्रकरण क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	पण्डरीपानी प. ह. नं. 26	खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			122	0.30		
			127	0.02		
			152	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)		
			153	0.54		
			160	0.01		
			163	0.13		
			176	0.19		
			175	0.03		
			179	0.01		
			189/1	0.10		
			189/2	0.12		
			191	0.18		
			263/3	0.02		
			459	0.01		
			460	0.14		
			464	0.02		
			486	0.01		
			538	0.56		
			543	0.07		
			544	0.09		
			487	0.16		
			512	0.36		
			452/2	0.19		
			545	0.05		
			546	0.13		
			547	0.01		
			548	0.02		
			549	0.19		
			550	0.09		
			551	0.02		
			552	0.13		
			553	0.16		
			554	0.07		
		योग	33	4.14		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रक्बा (हे. में) (2)		
रायपुर	गरियाबंद	चिखली प. ह. नं. 43/27	242/1	0.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			242/2	0.26		
			221	0.42		
			127	0.04		
			110	0.27		
			118	0.01		
			115	0.13		
			111	0.06		
			35/2	0.23		
			39/2	0.21		
		योग	10	1.71		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रक्बा (हे. में) (2)		
रायपुर	गरियाबंद	हॉथबाय प. ह. नं. 43/27	220/1	0.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)		
			241/1	0.12		
			220/2	0.08		
			222/2	0.01		
			224	0.13		
			227	0.02		
			305	0.01		
			228	0.18		
			238	0.05		
			371	0.02		
			239	0.04		
			363	0.06		
			240	0.06		
			366	0.12		
			241/2	0.10		
			306	0.04		
			362	0.14		
			309	0.51		
			311	0.22		
			312	0.13		
			313	0.08		
			318	0.30		
			314	0.23		
			316	0.11		
			325	0.01		
			352/1	0.13		
			361	0.08		
			385	0.08		
			365	0.01		
			370	0.08		
			384	0.08		
			387	0.34		
		योग	32	3.85		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)		
रायपुर	गरियाबंद	परसुली प. ह. नं. 43/27			कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण.
			124	0.23		
			133	0.30		
			138	0.20		
			134	0.07		
			135	0.07		
			214/2	0.06		
			214/3	0.06		
			223	0.10		
			226/1	0.10		
			226/2	0.10		
			250	0.17		
			248	0.17		
			372	0.01		
			421/4	0.13		
			421/6	0.02		
			421/7	0.08		
			421/10	0.01		
			421/11	0.02		
			421/12	0.08		
			421/16	0.37		
			214/4	0.02		
			214/5	0.02		
			421/19	0.05		
		योग	23	2.44		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जाँजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अवरीद, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1997/1	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जॉजगीर केरा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 मई 2008

क्रमांक 1056/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-भलपहरी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 7.21 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	285/9 ग	0.40
	285/11	1.03
	285/10	1.00
	285/13	1.50
	285/14	0.50
	285/15	0.50
	263	0.66
	264	
	265	0.48
	266	1.14
योग	09	7.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2008

क्रमांक 451/प्र.1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-बासीन, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.60 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
932/1	0.15
132/2	0.30
1064	0.23
1057	0.23
1050/1	0.08
1046/2	0.20
1064/1	0.09
992/1	0.32
योग	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करंजा भिलाई जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2008

क्रमांक 454/प्र.1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-जेवरा, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.03 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123/1	0.03
योग	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- समोदा नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2008

क्रमांक 448/प्र.1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-बोरई, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
535	0.04
575	0.04
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरई जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक 810/प्र-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनिमय, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-लिमोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	32	0.02
	33	0.02
	34/1	0.05
	34/2	0.04
	64/1	0.03
	129/2	0.03
	64/2	0.03
	128/3	0.03
	65	0.02
	129/1	0.02
	68	0.03
	69	0.02
	131	0.14
	70	0.06
	132	0.13
	72	0.03
	123	0.02
	123	0.05
	125	0.01
	126	0.05
	127	0.06
	128/2	0.02
	130	0.06
	145/6	0.07
	145/8	0.06
	145/9	0.04
	146	0.03
	145/9	0.02
योग	28	1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीपरछेड़ी-लिमोरा मार्ग हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक 810/प्र-1/भू-अर्जन/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरछेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.47 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	396, 407	0.51
	404, 563	0.25
	408	0.05
	417	0.09
	418/1, 3	0.17
	421	0.08
	422	0.28
	439	0.35
	440	0.09
	442	0.04
	552/4	0.08
	552/1	0.04
	553	0.08
	555	0.09
	561/1	0.07
	561/2	0.07
	562	0.06
	554	0.07
योग	21	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीपरछेड़ी-लिमोरा मार्ग हेतु भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2008

प्रकरण क्र. 3/अ-82/2007-08 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धौरामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.35 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	23/4	0.85
	61/2	0.35
	61/3	0.25
	67/1	0.61
	180/1	0.17
	180/2	0.32
	180/3	0.35
	180/4	0.45
योग	08	3.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धौरामुड़ा जलाशय वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 मई 2008

प्रकरण क्र. 2/अ-82/2007-08 .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	76/10	0.11
	78/2	0.17
	80/2	0.10
	80/4	0.10
	81/1	0.41
	82/8	0.21
	82/9	
	82/10	
	82/13	0.13
	82/14	
	82/8	0.21
	82/9	
	82/10	
	83/4	0.10
	83/6	0.04
	86/1	0.18
	86/2	0.17
	99/1	0.10
	99/2	0.09
	99/3	0.11
	103/1	0.16
	107/1	0.61
	118/1	0.90
	119	
	121	
	122	
	123	
	126/2	0.13
	161	0.30
योग	27	4.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धौरामुड़ा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बिलासपुर, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक/915/स. अ. भू. अ.-3/2008.—श्री सोनमणि बोरा, कलेक्टर, रायपुर, छ. ग. शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-6-43/2005/सात-तीन/05 रायपुर दिनांक 26-5-2005 द्वारा छ. ग. भू. रा. संहिता 1959 की धारा 90 में विहित शक्तियों के तहत संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संबंधित धाराओं का प्रयोग करते हुये जिला रायपुर के तहसील गरियाबंद के ग्राम नहरगांव प. ह. नं. 26 का पारा (मोहल्ला) तंवरबंहरा को नहरगांव से अपवर्जित करके (तंवरबहरा हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या समाविष्ट कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया गया है.

1. ग्राम नहरगांव एवं तंवरबहरा का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार होगी.

क्रमांक	विवरण	नहरगांव	तंवरबहरा
1.	जनसंख्या	704	805
2.	मवेशी संख्या	746	753
3.	कुल रकबा	447.00 हे.	340.80 हे.
4.	काश्तकारी रकबा	347.68 हे.	266.11 हे.
5.	नक्शा	4 शीट	4 शीट
6.	खसरा	4 प्रतियों में	4 प्रतियों में

2. उपरोक्त अपवर्जन के फलस्वरूप जिला रायपुर के तहसील गरियाबंद में राजस्व ग्रामों की संख्या 480 के स्थान पर 481 तथा जिलों के कुल ग्रामों की संख्या 2118 के स्थान पर 2119 होगा.

रायपुर, दिनांक 24 मई 2008

क्रमांक/915/स. अ. भू. अ.-3/2008.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-43/2005/सात-तीन/05 रायपुर दिनांक 26-5-2005 द्वारा छ. ग. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. अत: उपरोक्त पत्र के आधार पर जिला रायपुर के गरियाबंद तहसील के ग्राम नहरगांव प. ह. नं. 26 रा. नि. मं. गरियाबंद के आश्रित पारा तंवरबहरा को ग्राम नहरगांव से अपवर्जित करके (तंवरबहरा हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार क्षेत्रफल जनसंख्या संभावित कर) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है.

ग्राम नहरगांव एवं तंवरबहरा का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार है.

क्रमांक	विवरण	नहरगांव	तंवरबहरा
1.	जनसंख्या	704	805
2.	मवेशी संख्या	746	753
3.	कुल रकबा	447.00 हे.	340.80 हे.
4.	काश्तकारी रकबा	347.68 हे.	266.11 हे.
5.	नक्शा	4 शीट	4 शीट
6.	खसरा	4 प्रतियों में	4 प्रतियों में

2. उपरोक्त दोनों ग्रामों के सीमा निर्धारित सीमांकन तथा सीमा में विधिवत् चांदा मुनारा की स्थापना एवं रेखामापन करने का आदेश दिया जाता है.

3. उपरोक्त दोनों ग्रामों का पृथक-पृथक सम्पूर्ण राजस्व अभिलेखों का विधिवत् संधारण करने का निर्देश दिया जाता है.

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिविल लाईन, जी. ई. रोड, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2008

क्र.-याचिका क्र. 02-05/2008/572.—आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 55 के प्रावधानों के अनुरूप शतप्रतिशत मीटरीकरण नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि में पूरा न होने के कारण उक्त धारा 55 (1) के द्वितीय परन्तुक में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए और राज्य में मीटरीकरण के वर्तमान स्तर, विभिन्न प्रकार के मीटरों की बाजार में उपलब्धता और मीटरों की प्राप्ति में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, आदेश दिनांक 12-04-2005 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (विद्युत मण्डल) के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए मीटर स्थापित करने की अवधि को बढ़ाकर मार्च 2007 तक समय सीमा निर्धारित की थी. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 20-05-2005 को प्रकाशित हुई थी. तत्पश्चात् आयोग ने विद्युत मण्डल के निवेदन पर कार्य की तत्कालीन प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह अवधि मार्च 2007 से बढ़ाकर 30-09-2008 की थी. तत्संबंधी अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 11-05-2007 को प्रकाशित हुई थी.

मीटरीकरण के कार्य की समीक्षा के दौरान आयोग के ध्यान में आया कि विद्युत मण्डल ने पुन: चूक की है और शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य दिनांक 30-09-2008 तक पूरा करना संभव नहीं है. आयोग के निर्देश पर मण्डल के मुख्य अभियंता (संचालन एवं संधारण) एवं मुख्य अभियंता (भण्डार एवं क्रय) द्वारा तैयार की गई इस आशय की संयुक्त कार्यवाही योजना प्रस्तुत मण्डल ने की, कि विद्युत मण्डल द्वारा शतप्रतिशत मीटरीकरण का लक्ष्य दिनांक 31-03-2009 तक प्राप्त कर लिया जावेगा. स्थिति की समीक्षा के उपरांत और विद्युत मण्डल के निवेदन पर आयोग ने यह आदेश पारित किया कि मण्डल के सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण दिनांक 31-03-2009 तक पूरा कर लिया जावे. अत: धारा 55 (1) के द्वितीय परन्तुक में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग यह आदेश देता है कि विद्युत मण्डल अपने सभी उपभोक्ताओं के पूर्ण मीटरीकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 55 का अब 31-03-2009 तक परिपालन करे, अन्यथा चूक की दशा में वह अधिनियम की धारा 142 के अधीन कार्यवाही का भागीदार होगा.

Raipur, the 21st May 2008

Petition No. 02-2005/2008/572.— Since cent percent meterisation, could not be completed within two years from the appointed date, as provided in Section 55 of the Electricity Act, 2003 (the Act) the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission by using its power conferred under the second proviso to Section 55 (1) of the Act and looking to the status of meterisation in the State, availability of various types of meters in market and time taken in procurement of meters, had extended the time limit to provide meters for consumers of all categories of the Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB) upto end March 2007, vide order dated 12-04-2005. The notification to this effect was published in Chhattisgarh Rajpatra on 20-05-2005. Thereafter, on the request of CSEB and taking into consideration the progress of work at that time, the Commission had extended the time limit from March 2007 to 30-09-2008. The notification to this effect was published in Chhattisgarh Rajpatra on 11-05-2007.

On review of the progress of meterisation, it came to the notice of the Commission that the Board has defaulted again and that the target of cent percent meterisation is unlikely to be met by 30-09-2008. The CSEB has, on the directions of the Commission, submitted a joint action plan prepared by the Chief Engineer (O & M) and the Chief-Engineer (S&P) of the Board to the effect that cent percent meterisation would be achieved by the Board by 31-03-2009. On review of the position and on the request of CSEB, the Commission has passed orders on 31-01-2008 to the effect that meterisation of all its consumers shall be achieved by 30-03-2009. Now in exercise of the powers vested in the Commission by the second proviso to section 55 (1), it is ordered that the Board shall now comply with the provision of section 55 of the Act regarding full meterisation of all its consumers by 30-03-2009, failing which it shall render itself liable for action under section 142 of the Act.

आयोग के आदेशानुसार,
एन. के. रूपवानी, सचिव.

परिशिष्ट-एक

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

क्रमांक एफ 37-18/तीन (एक)-1/08/589 रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2008 (पूर्वार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2).	(3)	(4).	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29क	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
4.	नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28क	02-06-2008	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा (जांच) करने की तिथि.	28ख	03-06-2008.	मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28ग	05-06-2008	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	05-06-2008	गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	05-06-2008	गुरुवार	
9.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28घ	15-06-2008	रविवार	प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
10.	मतगणना	28 ङ			
	(1) मतदान केन्द्रों पर		15-06-2008	रविवार	मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरंत बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		16-06-2008	सोमवार	प्रातः 9.00 बजे से
11.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	81	17-6-2008	मंगलवार	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से

हस्ता./-
उप-सचिव.

परिशिष्ट-एक

क्रमांक एफ 37-19/तीन (एक)/3/2008/591　　रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव वर्ष-2008 समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29क	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 क	02-06-2008	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 ख	03-06-2008	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28 ग	05-06-2008	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	05-06-2008	गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	05-06-2008	गुरुवार	-
9.	मतदान की तारीख (यदि आवश्यक हो)	28घ	15-06-2008	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
10.	मतगणना (1) मतदान केन्द्र पर	28 ङ	15-06-2008	रविवार	मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरंत बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो खण्ड/ तहसील मुख्यालय पर.		16-06-2008	सोमवार	प्रात: 9.00 बजे से
11.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	81	17-6-2008	मंगलवार	खण्ड मुख्यालय में प्रात: 9.00 बजे से

हस्ता./-
उप-सचिव.

परिशिष्ट-एक

क्रमांक एफ 37-18/तीन (एक)/3/2008/609 रायपुर, दिनांक 20 मई 2008

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2008 (पूर्वार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29 क	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	26-05-2008	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
4.	नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 क	02-06-2008	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि.	28 ख	03-06-2008	मंगलवार	प्रात: 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28 ग	05-06-2008	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	05-06-2008	गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	05-06-2008	गुरुवार	-
9.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 घ	15-06-2008	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
10.	मतगणना	28 ङ			
	(1) मतदान केन्द्रों पर		15-06-2008	रविवार	मतदान केन्द्रों में मतदान के तुरंत बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		16-06-2008	सोमवार	अपरान्ह: 3.00 बजे से
11.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा (1) पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	81	17-6-2008	मंगलवार	खण्ड मुख्यालय पर प्रात: 9.00 बजे से.

हस्ता./-
उप-सचिव.

परिशिष्ट-एक

क्रमांक एफ 37-19/तीन (एक)/3/2008/611

रायपुर, दिनांक 20 मई 2008

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव वर्ष-2008 समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्रमांक (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन (5)	समय (6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29क	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	26-05-2008	सोमवार	प्रातः 10.30 बजे से
4.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28क	02-06-2008	सोमवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा (जांच) करने की तिथि.	28ख	03-06-2008	मंगलवार	प्रातः 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख.	28ग	05-06-2008	गुरुवार	अपरान्ह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	05-06-2008	गुरुवार	अभ्यर्थिता वापसी के बाद
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	40	05-06-2008	गुरुवार	-
9.	मतदान की तारीख (यदि आवश्यक हो)	28 घ	15-06-2008	रविवार	प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
10.	मतगणना (1) मतदान केन्द्र पर	28 (ङ)	15-06-2008	रविवार	मतदान केन्द्र में मतदान के तुरंत बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो खण्ड/तहसील मुख्यालय पर.		16-06-2008	सोमवार	अपरान्हः 3.00 बजे से
11.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	81	17-6-2008	मंगलवार	खण्ड मुख्यालय में प्रातः 9.00 बजे से

हस्ता./-
उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

क्रमांक/एफ-134/न. पा./रानिआ/निर्वा. कार्यक्रम/2008/593 रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

नगर पंचायत राजपुर, जिला-सरगुजा के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु निर्वाचन-2008
निर्वाचन कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	26-05-08	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
4.	मतदान	75-ग (एक)	15-6-08	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक.
5.	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75-ग (दो) 75-ज	17-06-08	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से

आर. के. साहू,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

क्रमांक/एफ-134/न. पा./रानिआ/निर्वा. कार्यक्रम/2008/595 रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

नगर पंचायत गुण्डरदेही, जिला-दुर्ग के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु निर्वाचन-2008
निर्वाचन कार्यक्रम

क्रमांक	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	26-05-08	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75-ङ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
4.	मतदान	75-ग (एक)	15-6-08	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक.
5.	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75-ग (दो) 75-ज	17-06-08	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से

आर. के. साहू,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

क्रमांक/एफ-134/न. पा./रानिआ/निर्वा. कार्यक्रम/2008/597 रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

नगर पंचायत नवागढ़, जिला-दुर्ग के अध्यक्ष को वापस बुलाने हेतु निर्वाचन-2008
निर्वाचन कार्यक्रम

क्रमांक (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)	दिन (5)	समय (6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	75-ग 75-घ	26-05-08	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे
2.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	75- ङ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
3.	प्रतीकों का आवंटन	75-च 75-छ	26-05-08	सोमवार	उपरोक्तानुसार
4.	मतदान	75-ग (एक)	15-6-08	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक.
5.	मतगणना और निर्वाचन की घोषणा	75- ग (दो) 75-ज	17-06-08	मंगलवार	प्रात: 9.00 बजे से

आर. के. साहू,
उप-सचिव.

परिशिष्ट-1

रायपुर, दिनांक 16 मई 2008

क्रमांक-एफ/134/न. पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2008/599.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-20 (2) (क), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत) के उप-निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

क्रमांक (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख (4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना.	21, 22	26-05-2008, सोमवार, प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक.
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22 क	26-05-2008, सोमवार, प्रात: 10.30 बजे से
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	16	26-05-2008, सोमवार, प्रात: 10.30 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	02-06-2008, सोमवार, अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	03-06-2008, मंगलवार, प्रात: 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	21 (ग)	05-06-2008, गुरुवार, अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	5-06-2008, गुरुवार, अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	15-06-2008, रविवार, प्रात: 7.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक.
7.	मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा	21 (ङ)	17-06-2008, मंगलवार, प्रात: 9.00 बजे से

परिशिष्ट-2

नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-फरवरी 2008 की स्थिति में

क्रमांक	जिला	नगरपालिका	पद एवं रिक्त वार्ड		
			अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत, बोदरी	-	पार्षद	14
	--,,--	नगर पंचायत, लोरमी	-	पार्षद	9
2.	कोरबा	नगर पालिका परिषद्, दीपिका	-	पार्षद	1
3.	सरगुजा	नगर पंचायत, विश्रामपुर	-	पार्षद	10
	--,,--	नगर पंचायत, लखनपुर	-	पार्षद	2
	--,,--	नगर पंचायत, सीतापुर	-	पार्षद	12
	--,,--	नगर पंचायत, कुसमी	-	पार्षद	2
	--,,--	नगर पंचायत, राजपुर	अध्यक्ष वापस बुलाना	-	समस्त वार्ड
4.	रायगढ़	नगर पालिका परिषद्, खरसिया	-	पार्षद	12
	--,,--	नगर पंचायत, घरघोड़ा	-	पार्षद	4
5.	रायपुर	नगर पंचायत, खरोरा	-	पार्षद	12
	--,,--	नगरपालिका परिषद्, बीरगांव	-	पार्षद	15
6.	महासमुंद	नगरपालिका परिषद्, महासमुंद	-	पार्षद	12
7.	धमतरी	नगर पंचायत, कुरूद	-	पार्षद	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	दुर्ग	नगरपालिका परिषद्, कुम्हारी	-	पार्षद	21
	--,,--	नगरपालिका परिषद्, भिलाई चरौदा	-	पार्षद	13
	--,,--	नगर पंचायत, नवागढ़	अध्यक्ष वापस बुलाना	-	समस्त वार्ड
	--,,--	नगर पंचायत, गुण्डरदेही	अध्यक्ष वापस बुलाना	-	समस्त वार्ड
9.	राजनांदगांव	नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	-	पार्षद	17
		योग	**3**	**16**	-

आर. के. साहू,
उप-सचिव.